

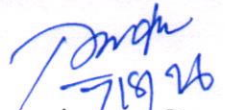
5. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 12888/वि० दिनांक-03.12.2024, पत्रांक 410 दिनांक 12.06.2025, 236/वि० दिनांक 09.03.2026, 2956/वि० दिनांक 25.03.2026, 926/वि० दिनांक 01.04.2026 314/वि० दिनांक 31.07.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत्यादेश पर संचिका सं०- 3/यो-सं०-48/2023/ के टिप्पणी पृष्ठ सं० 32/टि० पर दिनांक- 06.08.2026 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
7. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं०-3/यो-सं०-48/2023/ के टिप्पणी पृष्ठ सं० 32/टि० पर दिनांक- 06.08.2026 को अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।
8. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन


 संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो-सं०-48/2023/..... /..... 72/दिनांक- 07-8-26

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, आई.सी.डी.एस., निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/ सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


 संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो-सं०-48/2023/..... /..... 72/दिनांक- 07-8-26

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


 संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो-सं०-48/2023/..... /..... 72/दिनांक- 07-8-26

प्रतिलिपि -विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


 संयुक्त सचिव,

सं0सं0-3/यो-सं0क०-48/2023/.....72

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2026-27)

प्रेषक,

सुशील कुमार,
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 07-8-26

विषय:- वितीय वर्ष 2026-27 में मिशन शक्ति के तहत सामर्थ्य उप योजना अन्तर्गत शक्ति सदन के संचालनार्थ केन्द्रांश मद में कुल रु० 1492.64 लाख (चौदह करोड बानवे लाख चौसठ हजार) मात्र के अतिरिक्त राशि की व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मिशन शक्ति योजना के तहत सामर्थ्य उप योजना अन्तर्गत महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शक्ति सदन योजना संचालित है। उक्त योजना के अन्तर्गत मानव तस्करी की शिकार तथा कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं को सुरक्षित तथा सकुशल वातावरण प्रदान करना है ताकि उन्हें कठिन स्थितियों से निकलने में मदद मिल पाये तथा वो पुनः अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सके। वितीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के संचालन हेतु केन्द्रांश एवं समतुल्य राज्यांश के रूप प्राप्त कुल रु० 588.47 लाख (पांच करोड अठ्ठासी लाख सैतालीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 54 दिनांक 15.04.2026 द्वारा दी गई है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में प्रथम अनुपूरक से प्राप्त रु० 1492.64 लाख (चौदह करोड बानवे लाख चौसठ हजार) मात्र के अतिरिक्त राशि की व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है-

(राशि लाख में)

क्र	योजना का नाम	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	पूर्व में स्वीकृत राशि	अतिरिक्त स्वीकृत राशि
1	मिशन शक्ति (सामर्थ्य)- शक्ति सदन	(51-2235021030234)	0234.3104, 3106	588.47	1492.64
कुल रु० (चौदह करोड बानवे लाख चौसठ हजार)					1492.64

2. केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए वित्त विभाग, बिहार, पटना के द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में उक्त योजना के समानुपातिक राज्यांश मद की राशि को केन्द्रांश मद में उपबंधित है।

3. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आई.सी.डी.एस. निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, जिला स्तर पर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं प्रखंड/परियोजना स्तर पर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश/CFMS में प्राप्त राशि के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वितीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।